



e/; i n s' k 0; kol kf; d i j h { k k e . My] H k s i k y

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011

फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498

ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाइट : www.vyapam.nic.in

समूह-5 के अंतर्गत पैरामेडीकल संवर्ग एवं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पदों
हेतु l a p r H k r h z i j h { k k & 2015

i j h { k k l p k y u , o a H k r h z f u ; e i f l r d k

ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	28.03.2015		
ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि	26.04.2015		
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	27.04.2015		
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि	03.05.2015		
परीक्षा दिनांक व दिन	31.05.2015 रविवार		
परीक्षा शुल्क	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	₹. 500/-	
	सीधी भर्ती के पदों हेतु	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	₹. 250/-
	सीधी भर्ती - बैकलॉग	कोई शुल्क नहीं	
	बैगा, सहारिया एवं भारिया विशेष अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये		
ऑनलाईन आवेदन - पत्र भरने वाले सभी अभ्यर्थियों को एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क : - 70@& देय होगा।			

l e; l k j . k h

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियाँ भरने का समय	प्रश्न-पत्र वितरण समय	प्रश्न-पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
31-05-2015 ½ fookj ½	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 से 10:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:10 बजे से	प्रातः 10:10 से 10:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 10:15 से 12:15 बजे तक (2:00 घंटे)

fVli . k h %&

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट पश्चात तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
2. परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं व्हाईटनर आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
4. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
5. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन, परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र के साथ साथ **मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ज़ायविंग लायसेस, अंकसूची मय फोटोग्राफ, बैंक पासबुक मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक अथवा उसके द्वारा अतिरिक्त रूप से चयनित अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा।** अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
6. अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्तानुसार फोटोयुक्त पहचान पत्र परीक्षा तिथि पर साथ नहीं लाने की स्थिति में ही मण्डल द्वारा जारी प्रवेश-पत्र (टी.ए.सी.) के द्वितीय भाग में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में प्रयोग किया गया फोटो लगाकर **राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा**, परीक्षार्थी को तभी परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्रता होगी।
7. मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करते हुये हॉर्डकॉपी में आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि तक निर्धारित प्रारूप (नियम पुस्तिका के प्रारूप-3) में विभिन्न विभागों के पृथक - पृथक पदों हेतु पृथक - पृथक आवेदन पत्र प्रेषित करना होगा।



e/; i ns' k 0; kol kf; d ijh{kk e.My] Hkksi ky

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011

फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498

ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

समूह-5 के अंतर्गत पैरामेडीकल संवर्ग एवं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पदों
हेतु l a Ør HkrhZ ijh{kk&2015

fo" k; & l ph

l - Øa	fooj .k	i "B Ø-
1.	v/; k; &1 & सामान्य प्रशासन विभाग की नियमावली	03 & 13
2.	v/; k; &2 – विभागवार रिक्त पदों का विवरण तथा आरक्षण तालिका	14 & 40
3.	v/; k; &3 – व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	41 & 57
4	v/; k; &4& परीक्षा का पाठ्यक्रम	58 & 58
5.	ik: i&1 – प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन पत्रक	59 & 59
6.	ik: lk&2 & आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन पत्रक	60 & 60
7.	ik: lk&3 & बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप	61 & 62

क्रमांक सी 3-10/2013/1/3 : : भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, राज्य शासन के विभिन्न विभागों/संस्थाओं से संबंधित उन पदों पर, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, संयुक्त चयन परीक्षा के माध्यम से, भर्ती के लिए तथा मानदण्ड नियत करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

fu; e

1- I f{klr uke rFkk çkjalk &

- (1.) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013" है।
- (2.) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2- i fjHkk"kk, a & इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है वह प्राधिकारी जो कि संबंधित पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम है;
- (ख) "न्यूनतम अर्ह अंक" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा में अर्ह होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक;
- (ग) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;
- (घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;
- (ङ.) "संस्था" से अभिप्रेत है शासकीय विभागों द्वारा विनियमित विभिन्न निगम/मण्डल/आयोग/बोर्ड/संस्थाएँ;
- (च) "कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा" से अभिप्रेत है उन सभी पदों पर भरती के लिए, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा;
- (छ) "सफल अभ्यर्थियों की सूची" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा में न्यूनतम अर्ह अंक तक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की अवरोही क्रम में सूची;
- (ज) "अन्य पिछड़े वर्गों" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85/पच्चीस/484 दिनांक 26 दिसंबर, 1984 में यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (झ) "शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति" से अभिप्रेत है निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अधीन आने वाले व्यक्ति;
- (ञ) "पद" से अभिप्रेत है राज्य के विभिन्न विभागों/संस्थाओं के वे समस्त पद जो कि लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हैं;

- (ट) "भरती वर्ष" से अभिप्रेत है संबंधित वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की कालावधि;
- (ठ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ड.) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ढ) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;
- (ण) "उपक्रम" से अभिप्रेत हैं राज्य के मण्डलों, निगमों, आयोगों, स्वायत्तशासी निकायों, सोसाइटियों, सहकारी बैंकों के रूप में घोषित उपक्रम;
- (त) "व्यापम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल;
- 3- **ykx||gkuk %&** (1) ये नियम राज्य के सभी विभागों/संस्थाओं को लागू होंगे।
 (2) सरकारी विभागों, विभागाध्यक्षों तथा संस्थाओं के कार्यालयों से संबंधित सभी पदों को भरने के लिए चयन, मण्डल द्वारा, उसके द्वारा नियम मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। सभी विभागों/संस्थाओं को ऐसे चयन, उनके स्वयं के स्तर पर या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से संचालित करवाया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
 (3) इन नियमों में अभिव्यक्त उपबंधों का मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा।
- 4- **foHkkxh; Hkjrh fu; eka dks eKl; rk çnku fd; k tkuk &** वे समस्त उपबंध जो इन नियमों में जोड़े गए हैं, और जो वर्तमान में विभागीय भर्ती नियमों में समायोजित नहीं किए गए हैं, संशोधित किए जाएंगे और सभी विभागों द्वारा अपने विभागीय भर्ती नियमों में सम्मिलित किए जाएंगे और तब तक जब तक कि विभागीय भर्ती नियम संशोधित नहीं हो जाते इन नियमों के उपबंध संशोधित समझे जाएंगे।
- 5- **vgbkljh vad &** (1) मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा में, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने नियम 7 में समूहवार निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत तक अंकों की छूट देते हुए 40 प्रतिशत न्यूनतम अर्हता अंक होंगे।
 (2) इन नियमों के अधीन संचालित परीक्षा के परिणामों में, अर्हकारी सूची में केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही रखा जाएगा परंतु पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कि –
 (क) कोई विभाग/उपक्रम रिक्त पद के लिए मण्डल से कोई मांग नहीं करता है ;
 (ख) अभ्यर्थी का नाम मांगकर्ता विभाग/उपक्रम को भेज नहीं दिया जाता है;
 (ग) अभ्यर्थी ने नियुक्ति के लिए मण्डल द्वारा निर्धारित समस्त पात्रता को पूर्ण न कर लिया हो;
 और
 (घ) विभाग ने अभ्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी न कर दिया हो।

6- foLrkj &

- (1) राज्य के सभी विभाग/उपक्रम उनकी रिक्तियों को मण्डल द्वारा अंतिम रूप प्रदान की गई सफल अभ्यर्थियों की सूची में से भरेंगे जिसमें नियम 6 में यथा उल्लिखित भविष्य में सृजित किए जाने वाले पद भी सम्मिलित हैं।
- (2) मण्डल, पात्र अभ्यर्थियों के नाम, यदि उनके द्वारा ऐसी मांग की जाए तो सभी विभागों/संस्थाओं/निगमों/मण्डलों/आयोग/स्वायत्तशासी निकायों/सोसाइटियों/सहकारी बैंकों को भी अप्रेषित करेगा।

I kekU; ç' kkl u foHkkx] eæky; oYyHk Hkou] Hkksi ky ds I d kks/ku i fji = Øekad 7] Hkksi ky fnukad 16 Qjoh 2015 ds vuq kj d fMdk 7 I ok I eng ea fuEukuq kj I d kks/ku fd; k x; k gA

- 7- I ok I eng & विभिन्न पदों के लिए सेवा समूह, जिनके कि लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी, नीचे दी गई तालिका में दिए गए अनुसार होंगे, अर्थात् –

rkfydk

I - Ø-	I ok I eng	i n dk I oxk@i nuke	Js kh
5.	समूह-पाँच	पैरामेडीकल संवर्ग एवं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी एवं अन्य समकक्ष पद।	तृतीय श्रेणी

- 8- विभाग/उपक्रमों के मांग पत्र – सभी विभाग/उपक्रम ऐसे समस्त पदों के लिए जो कि भरे जाने हैं तथा जिनके आगामी भरती वर्ष में रिक्त होने की संभावना है, मांग पत्र मण्डल को प्रत्येक भरती वर्ष के 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से भेजेंगे।

(2) विभाग/उपक्रम मण्डल को मांगपत्र निम्नलिखित जानकारी के साथ भेजेंगे : –

- (क) मण्डल के मांगपत्र में भरे जाने वाले पदों के लिए प्रस्ताव;
- (ख) परीक्षा के लिए संबंधित नोडल अधिकारी के पद का नाम तथा पता;
- (ग) राजपत्र में प्रकाशित भरती नियम की एक प्रति;
- (घ) आरक्षित वर्ग के पदों का विवरण दर्शाने वाली तालिका।

- 9- ijh{kk dk vk; kstu & ऊपर नियम 7 में उल्लिखित सेवा समूह – 5 के लिए परीक्षा विभिन्न विभागों के लिए मण्डल द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक संवर्ग/ पद के लिए आयोजित की जाएगी।

संयुक्त अर्हता परीक्षा योजना नीचे तालिका में दिए गए अनुसार होगी अर्थात् –

rkfydk

I - Ø-	I eng	ç' u i = dh dy I d; k	dy v d	ç' u i = dk foj .k
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	समूह-पाँच	01	100	सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, सामान्य हिन्दी, सामान्य विज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य अभिरुचि,

10- ik=rk dh 'krā ; Fkk 'kṣkf.kd@rdudhdh@0; kol kf; d vgrk, a%&

- (1) अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भरती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा, इस प्रकार की योग्यता का उल्लेख मांगकर्ता विभाग द्वारा मण्डल को भेजे गए मांग पत्र में अनिवार्य रूप से करना होगा। पदों के विभिन्न समूहों की परीक्षा के लिए निम्नलिखित 'kṣkf.kd vgrk अनिवार्य होंगी, अर्थात् –

I eng & i kjo

अभ्यर्थी ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण की हो तथा उसके पास संबंधित पद के लिये आवश्यक प्रमाण-पत्र/पत्रोपाधि (डिप्लोमा) हो।

- (2) अभ्यर्थियों को आवेदित पद के लिए प्राथमिकता अंकित करनी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अर्ह हो जाता है तथा मण्डल द्वारा उसकी अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जाती है तथा यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूर्ति नहीं करता है और उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में उसकी अभ्यर्थिता नामंजूर हो जाएगी और वह अन्य पद के लिए अहस्तांतरणीय होगी तथा इसका पूर्ण दायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा न कि मण्डल का।

1/3½ vk; q I hek & उन समस्त पदों के लिए जिनके कि लिए मण्डल संयुक्त कनिष्ठ सेवा अर्हता परीक्षा आयोजित कर रहा है, न्यूनतम आयु-सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु-सीमा 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों, विभागों/निगमों/मण्डलों/आयोगों/स्वायत्तशासी निकायों/होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे। आयु सीमा की गणना भरती के pkyw o"kl dh 1 tuojh की स्थिति में की जाएगी :

परंतु अधिकतम आयु सीमा गृह (पुलिस), आबकारी तथा जेल विभाग के कार्यपालक पदों के लिए लागू नहीं होगी। ऐसे विभागों के कार्यपालक पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा उनके भरती नियमों में विहित किए गए अनुसार लागू होगी :

परंतु यह और कि अधिकतम आयु सीमा में छूट जो कि शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक को प्रदान की जानी है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों के अनुसार होगी:

परंतु यह भी कि सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

I kekU; ç' kkl u foHkkx] e=ky; oYyHk Hkou] Hkksi ky ds I a kks'ku i fji = Øekad 74] Hkksi ky fnukad 16 Qjoj 2015 ds vuq kj d fMdk 10 ea mi fu; e&03 ds i 'pr- fuEufyf[kr mi fu; e vr%Fkkfi r fd; k x; k gṣ tks fuEukuḍ kj gṣ &

- (क) विभिन्न विभागों के पदों एवं उनकी योग्यता आदि भिन्न-भिन्न रहती है, विषयवार परीक्षा आयोजन करने के कार्य को सुगम बनाने की दृष्टि से, व्यावसायिक परीक्षा मंडल संलग्न परिशिष्ट (कंडिका-07 सेवा समूह) में अंकित समूहों में वर्णित उप समूहों के अनुसार परीक्षा आयोजित कर सकेगा, इसे साथ-साथ वर्णित पदों की वांछित योग्यता/अनुभव को

विभागों की आवश्यकता को देखते हुए यदि किसी समूह के पद को अन्य समूह में रखते हुए परीक्षा आयोजित करतो है तो वह कार्य भी व्यावसायिक परीक्षा मंडल कर सकेगा।

- (ख) कुछ विभागों के पदों में विभिन्न प्रकार के तकनीकी स्वरूप की दक्षता चाही जाती है जो केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाना संभव नहीं होता है उदाहरणस्वरूप स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट आदि, ऐसे मामलों में व्यावसायिक परीक्षा मंडल आवश्यकता के अनुरूप यह निर्णय करेगा कि परीक्षा में इस प्रकार की तकनीकी दक्षता का आंकलन करने के लिए अतिरिक्त स्तर की परीक्षा आयोजित की जा सके व उसमें न्यूनतम कट ऑफ अंक नियत किये जाकर जो पात्रता में अंक प्राप्त होंगे वे अंक प्रथम चरण की परीक्षा में जोड़कर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

11- vH; fFk; k }kj k vkonu çLr r fd; k tkuk &

- (1) मण्डल एक विज्ञापन जारी करके प्रत्येक समूह या पद के लिए प्रतिवर्ष संयुक्त परीक्षा आयोजित करेगा जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख का उल्लेख किया जाएगा, अभ्यर्थी अपने आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाईन या जैसा कि मण्डल द्वारा निर्देशित किया जाए, प्रस्तुत करेंगे। आवेदन नियत तारीख तक कार्यालय समय में मण्डल के कार्यालय में आवश्यक रूप से पहुंचना चाहिए;
- (2) नियत अंतिम तारीख के पश्चात् प्राप्त आवेदन निरस्त माने जाएंगे तथा मण्डल अभ्यर्थियों को कोई लिखित जानकारी देने का दायी नहीं होगा।
- (3) अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए विकल्प दे सकेगा और वह अपनी प्राथमिकता उल्लेखित कर सकेगा और विभाग/कार्यालय और पद के लिए भी अपना अधिमान चिंहित कर सकेगा।
- (4) अभ्यर्थी पृथक् रूप से एक से अधिक समूह की परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकेगा यदि उसके पास ऊपर वर्णित पद के लिए समुचित अर्हता हो। विभिन्न पदों के लिए उसे पृथक् आवेदन फार्म जमा करना होगा और समूहवार चयन परीक्षा में पृथक-पृथक उपस्थिति होना होगा।

12- e.My }kj k i j h {kk i f j . kkeka dh ?kk'k. kk vkj | Qy vH; fFk; k dh | ph tkjh djuk

- (1) मण्डल, परीक्षा के चालू वर्ष के 30 अप्रैल तक अपने परिणाम घोषित कर देगा और गुणागुण के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की सूची तथा नियम 6 में तथा वर्णित समूहों के लिए विभागों के अधिमान भी जारी करेगा।
- (2) मण्डल, सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी एक संयुक्त सूची जारी करेगा जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/ महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों/भूतपूर्व सैनिकों को खुली श्रेणी में रखा जाएगा।
- (3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का कोई उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित (ओपन) सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी अनारक्षित श्रेणी में गणना की जायेगी और ऐसे उम्मीदवार को उसकी संबंधित आरक्षित प्रवर्ग की संख्या में नहीं जोड़ा जावेगा।
- (4) आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा यदि वह बिना किसी छूट के अनारक्षित अभ्यर्थी के समान अहं पाया जाता है। ऐसे अभ्यर्थी को आयु संबंधी छूट प्राप्त नहीं होगी।

- (5) आरक्षण का लाभ देते हुए संयुक्त खुली सूची जारी करने के पश्चात् अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के सफल अभ्यर्थियों की पृथक-पृथक सूची जारी की जाएगी जिसमें संबंधित आरक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों के नाम होरिजेन्टल आरक्षण के अनुसार भी सम्मिलित किए जाएंगे।
- (6) यदि आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अर्थात् महिला/भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक रूप से निःशक्त अभ्यर्थी जो अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी गणना अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन श्रेणी में की जाएगी। इसके बाद प्रवर्गवार सूची में अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण, संबंधित प्रवर्ग के अभ्यर्थी को ही दिया जाएगा। अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/महिलाओं, शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति और भूतपूर्व सैनिक संबंधित श्रेणी कम्पार्टमेंट में स्थान प्राप्त कर सकेंगे।
- (7) समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवर्षिता लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर निर्धारित की जावेगी। लिखित परीक्षा में भी अंक समान होने पर आयु के आधार पर आपसी सहवर्षिता निर्धारित की जावेगी। यह आवश्यक नहीं है कि अन्तिम CUT-OFF मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।

13- fu; ¶Dr ds fy, e.My dh vuq k k, &

- (1) मण्डल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामों की, नियम 10 के उपनियम (1) के अनुसार मूल रिक्तियों के पदों के अनुसार, संबंधित विभागों में नियुक्ति के लिए अनुशंसा करेगा।
- (2) संबंधित विभाग अर्हता से संबंधित अपेक्षित दस्तावेजों का परीक्षण करेगा और मण्डल द्वारा भेजे गए अभ्यर्थियों के नामों की औपचारिकताएं पूरी करेगा तथा नियुक्ति आदेश जारी करेगा।
- (3) चयनित अभ्यर्थी को एक विभाग आवंटित किया जाएगा जहाँ अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश में उल्लेखित अंतिम तारीख तक पदभार ग्रहण करना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित परीक्षा में उसकी अभ्यर्थिता स्वतः ही रद्द हो जाएगी।
- (4) यदि किसी विभाग/विभागाध्यक्ष/कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्धारित अवधि तक रिक्तियों की जानकारी नहीं दी गई हो तो संबंधित समूहों के अंतर्गत ऐसी उपलब्ध अनुमानित रिक्तियों की जानकारी जो वर्ष के दौरान वास्तविक रिक्तियों में परिवर्तित होंगी, विभागों द्वारा मण्डल को किसी भी स्थिति में परीक्षा वर्ष के 15 जुलाई तक उपलब्ध करानी होगी। शेष अभ्यर्थियों से जिनके नाम अर्हता सूची में आए हैं, उनके विभागों की प्राथमिकता पूछी जाएगी जिससे मण्डल द्वारा उनके नामों को योग्यता सूची के आधार पर क्रमानुसार संबंधित विभागों को अग्रेषित किया जा सके। मण्डल, विभागों को परीक्षा वर्ष के 15 अगस्त तक नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश देगा। अभ्यर्थी उनके आदेश में उल्लेखित अंतिम तारीख तक उनके चाहे गए आवंटित विभाग में अपना पदभार ग्रहण करने के दायित्वाधीन होंगे। यदि अभ्यर्थी ऐसा नहीं करना है तो संबंधित परीक्षा में उसका चयन स्वतः ही रद्द हो जाएगा।

14- I Qy vH; fFk; k dh vfre I ph dh fof/kekU; rk dh vof/k &

- (1) किसी भर्ती वर्ष में परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची, अंतिम सूची की घोषणा होने की तारीख से 18 मास के लिए विधिमान्य होगी किन्तु आगामी वर्ष की परीक्षा के परिणाम घोषित हो जाने के पश्चात् अविधिमान्य हो जाएगी।

- (2) मण्डल, अंतिम सूची की विधिमान्यता की समाप्ति के 6 मास पूर्व अर्थात् जनवरी मास तक आगामी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर देगा

परन्तु सफल अभ्यर्थियों की, नयी अंतिम सूची जारी होने की तारीख तक, यदि मण्डल ने संबंधित विभागों को अभ्यर्थियों के नाम भेज दिए हैं तो विभाग अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी कर सकेगा और नयी सूची पूर्व की सूची को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी।

15- ॐk.k i =ka dk | R; ki u rFkk fu; fDr dh ॐfØ; k &

- (1) परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची के आधार पर विभाग, शैक्षणिक, तकनीकी और व्यावसायिक अर्हताओं की उपाधि/पत्रोपाधि/प्रमाणपत्रों का सत्यापन करेगा। यदि अभ्यर्थियों के लिए कोई विभागीय परीक्षा आयोजित किए जाने की आवश्यकता है तो संबंधित विभाग द्वारा उसे आयोजित किया जाएगा तथा ऐसी परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित नहीं की जाएगी।
- (2) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्रवाई, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों, चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन आदि की कार्रवाई, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों, चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन आदि की कार्रवाई सुनिश्चित करना सम्बन्धित विभाग का दायित्व होगा।

16- vkj {k.k &

- (1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबवत (वर्टिकल) आरक्षण लागू होगा –

अनुसूचित जनजाति	–	20 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	–	16 प्रतिशत
अन्य पिछड़े वर्ग	–	14 प्रतिशत

परन्तु जिला स्तर के पदों पर, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा।

1/2½ {kfr t vkj {k.k &

- (क) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू होगा।
- (ख) निःशक्त या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कुल 6 प्रतिशत दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित एवं अस्थि बाधित के लिए 2–2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।
- परन्तु यह आरक्षण संबंधित विभाग द्वारा निःशक्त या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचाने और चिन्हित किए गए पदों के लिए दिया जाएगा।
- (ग) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में आरक्षण) नियम, 1985 के अनुसार क्रमशः तृतीय श्रेणी, के लिए 10 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्राप्त होगा।
- (3) (क) समस्त प्रकार के आरक्षित प्रवर्गों की गणना तथा अध्यपेक्षा के प्रारूप में ऐसे आरक्षित पदों के ब्यौरों का उल्लेख करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग पर होगा। मण्डल द्वारा पदों की संख्या की गणना नहीं की जाएगी यदि गणना में कोई त्रुटि पाई जाती है तो मण्डल इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(ख) शारीरिक रूप से विकलांग या निःशक्त अभ्यर्थियों में निःशक्तता की प्रतिशतता का सत्यापन चिकित्सीय बोर्ड द्वारा किया जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों की दशा में निदेशक, सैनिक कल्याण बोर्ड मध्यप्रदेश द्वारा किया जाएगा और सत्यापन की प्रक्रिया विभाग/विभागाध्यक्ष/संस्था द्वारा ही की जाएगी मण्डल द्वारा नहीं।

(ग) उपरोक्त सभी प्रकार के आरक्षण के संबंध में आरक्षित प्रवर्गों को विभिन्न प्रकार की छूट/शिथिलता इस निमित्त लागू अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी

17- वक्रण 'क' &

आवेदन शुल्क का विनिश्चय मण्डल की कार्यपालक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित होगा। शुल्क में छूट जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लागू हैं, मध्यप्रदेश के उन मूल निवासियों को ही लागू होगी जिन्हें सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का घोषित किया गया है :

परन्तु अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा

परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और क्रीमी लेयर में आते हैं, आरक्षण के लाभ, आयु सीमा में छूट या इस प्रवर्ग के लिए किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

18- ; क=क कक &

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी अपने निवास से निकटतम परीक्षा केन्द्र चुनेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाणित किया गया हो, को परीक्षा केन्द्र में ही परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उनके यात्रा व्ययों की नगद प्रतिपूर्ति की जाएगी। आवेदन की अंतिम तारीख के पश्चात् आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की सूची यात्रा व्ययों का अनुमानित आधार पर निर्धारण करने के लिए संबंधित विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। यात्रा व्ययों के लिए हकदार होने की दृष्टि से अभ्यर्थी को सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना होगा जो स्वप्रमाणित होगा और जिसकी एक प्रति संलग्न करेगा तभी अभ्यर्थी को यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

19- i jh{k dlnz &

इन नियमों के जारी किए जाने की तारीख से सरकार के समस्त पदों की भरती जो मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि में नहीं आते हैं, इन नियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार मण्डल द्वारा की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा और कौशल विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा

विभाग के अधीन आने वाली शासकीय और अर्ध शासकीय संस्थाएँ मण्डल के परीक्षा केन्द्र बनाए जाने हेतु किए गए अनुरोध को स्वीकार कर सकेंगी। यदि ऐसे केन्द्र पर संघ लोक सेवा आयोग, मण्डल की परीक्षाओं की तारीख पर अपनी परीक्षाएँ करवा रहा हो तो मण्डल का ऐसा प्रस्ताव संबंधित विभाग द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है। "इसके अतिरिक्त उक्त विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएँ मण्डल की परीक्षाओं के कार्य संपादन हेतु भी ली जा सकेंगी। अतः उपरोक्त कर्मचारीवृन्द की सेवाएँ अत्यावश्यक सेवाएँ होंगी।"

20- fujgrk &

- (1) मण्डल अभ्यर्थी की केवल वह जन्मतिथि स्वीकार करेगा जो हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी या किसी अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र पर उल्लेखित है जो वास्तविक जन्मतिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि का उल्लेख हो जाने पर, किसी भी स्थिति में जन्म तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। मण्डल ऐसे रद्द कर दिए गए आवेदन के लिए परीक्षा फीस लौटाने के दायित्वाधीन नहीं होगा।
- (2) (क) कोई पुरुष अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या जिसकी पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेता है, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसे पुरुष अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।
- (ख) कोई महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण से पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसके पति की एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या उसकी एक पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेती है ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।
- (ग) कोई अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् उसे कोई तीसरी संतान नहीं होती है।

21- vH; FkhZ dh ekufI d vkj 'kkjhfd fLFkr &

उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे उसके द्वारा विशेष कर्तव्यों का निर्वहन प्रतिकूलतः प्रभावित हो सकता हो, यदि कोई उम्मीदवार जो ऐसा चिकित्सा परीक्षा के पश्चात् जो यथास्थिति, शासन या नियुक्ति प्राधिकारी विहित करें, इन अपेक्षाओं के अनुसार संतोषजनक न पाया जाए, नियुक्त नहीं किया जायेगा, केवल ऐसे उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा, जिनके संबंध में नियुक्ति के लिए विचार किये जाने की संभावना हो

22- वक्रणक दक जन्म दद; क त्कुक &

ऐसे आवेदन जो अपूर्ण हैं और जो विहित प्रारूप में नहीं हैं या जिनके साथ परीक्षा शुल्क नहीं है, रद्द कर दिए जाएंगे तथा मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा।

23- वृह; फक्क }कुक वकुक {क.क दक नकुक &

- (1) आरक्षण का दावा कर रहा अभ्यर्थी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया समुचित और विधिमान्य जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।
- (2) आरक्षण का दावा कर रहे अभ्यर्थी के पास मध्यप्रदेश के किसी जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र होगा और वह मण्डल या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि अभ्यर्थी ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो ऐसी अभ्यर्थिता या चयन का दावा रद्द हो जाएगा। ऐसे रद्दकरण का दायित्व केवल अभ्यर्थी का होगा।
- (3) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को, जो आयु में शिथिलीकरण का दावा कर रहे हैं, उनके मंत्रालय या उस कार्यालय द्वारा जहां अंतिम उपस्थिति दर्ज की हो, जारी किया गया मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें पदभार ग्रहण करने की तारीख तथा रक्षा सेवाओं से उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख का उल्लेख हो, यदि उसे मितव्ययिता इकाई द्वारा अतिशेष घोषित करने की अनुशंसा के आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है तो उसके रोजगार कार्यालय में पंजीयन की, यदि कोई हो, सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

24- वृह; फक्कुक जन्म दकुस दस फु, वक/कुक &

किसी अभ्यर्थी की, जो निम्नलिखित किन्हीं आधारों पर दोषी पाया जाता है, अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी, जिसने –

- (क) लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी रीति में इस प्रकार सहयोग अभिप्राप्त किया है जिससे उसकी अभ्यर्थिता प्रभावित हुई है; या
- (ख) प्रतिरूपण किया हो; या
- (ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया हो; या
- (घ) अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किया गए हों जो रूपांतरित किए गए हों;
- (ङ) ऐसे विवरण दिए हों, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो कि चयन के लिए आवश्यक हो; या
- (च) किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन के साथ परीक्षा में भाग लिया हो; या
- (छ) परीक्षा कक्ष में किन्हीं अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या उपयोग करने का प्रयास किया हो;
- (ज) परीक्षा कक्ष में परीक्षा के कार्य में लगे हुए अधीक्षक को कोई शारीरिक क्षति की धमकी दी हो या धमकी दिलवाई हो; या
- (झ) प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी को दिए गए दिशा निर्देशों या आदेश और परीक्षा कक्ष में अधीक्षक या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा दिए गए मौखिक निर्देश का उल्लंघन किया हो; या
- (ञ) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में इस प्रकार दुर्व्यवहार किया हो जो आपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराता हो।

25- fu% kDrtuka ds fy; s vkjf{kr inka dh iwr] &

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-8-2/2013/आ.प्र. /एक भोपाल दिनांक 30.06.2014 के अनुसार निःशक्तजनों के लिए 06 प्रतिशत हॉरिजेण्टल आरक्षण दिया गया है और उसमें भी अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित के लिए 02-02 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 31 मार्च, 2005 जारी करते हुए पूर्व में आरक्षित किए गए रोस्टर के बिन्दुओं को निरस्त करते हुए तीन खण्ड बनाये गये हैं। अतः निःशक्तजनों के जो भी पद विज्ञापित किए गए वह वर्गवार न होकर निःशक्तजनों की श्रेणीवार (अस्थिबाधित/श्रवणबाधित/दृष्टिबाधित) हो। इस प्रक्रिया में जिस वर्ग के उम्मीदवार चयनित होंगे, उन्हें रोस्टर में संबंधित वर्ग के रिक्त बिन्दुओं पर अंकित किया जाएगा। हॉरिजेण्टल आरक्षण में वर्गवार प्रतिनिधित्व देना आवश्यक नहीं है, किन्तु वर्टिकल आरक्षण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को बनाये रखना आवश्यक है। इसमें कोई भी आरक्षित वर्ग के पद को किसी अन्य श्रेणी से भरने की अनुमति नहीं है।

अध्याय – 02

समूह-5 के अंतर्गत पैरामेडीकल संवर्ग एवं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पदों हेतु I a Dr HkrhZ ijh{kk&2015

भर्ती का प्रकार	प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम, जिनमें पद रिक्त हैं		पद	श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या								
				अना.	अजा.	अजजा	अपिव	कुल				
सीधी भर्ती	1.	कमला नेहरू चिकित्सा गैस राहत, भोपाल (म.प्र.)	ई.सी.जी टेक्नीशियन	01	—	01	—	02				
			रेडियोग्राफर	04	01	01	—	06				
			ओ.टी. सहायक	01	—	01	—	02				
	i.	संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल (म.प्र.)	गांधीचिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)	लैब असिस्टेंट	07	03	02	03	15			
				लैब टेक्नीशियन	07	02	01	—	10			
				ओ.टी असिस्टेंट	01	—	—	—	01			
				आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट	02	—	01	—	03			
				लैब अटेंडेन्ट	23	06	08	05	42			
				रेडियोग्राफर	04	01	01	7	06			
				ii.	महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)	आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट	रेडियोग्राफर	02	—	—	—	02
							फार्मासिस्ट ग्रेड-2	02	01	—	01	04
							ड्रेसर ग्रेड-2	05	02	01	02	10
							रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन	02	01	01	—	04
				iii.	गजराज चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)	गजराज चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)	मैस्यूर	01	—	—	—	01
							डार्क रूम असिस्टेंट	01	—	—	—	01
							ई.ई.जी टेक्नीशियन	01	—	—	—	01
							लैब असिस्टेंट	—	—	01	—	01
							रेडियोग्राफर	02	—	—	—	02
							एम.आर.आई./सीटी स्कैन टेक्नीशियन	—	—	01	—	01
							लैब टेक्नीशियन	04	—	07	05	16
							लैब अटेंडर	—	—	04	—	04
							लैब कीपर	—	—	02	—	02
							iv.	नेताजी सुभाषचन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर (म.प्र.)	नेताजी सुभाषचन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर (म.प्र.)	लैब टेक्नीशियन	03	04
				लैब असिस्टेंट	08	02				03	02	15
	ई.सी.जी. टेक्नीशियन	01	—	01	—	02						
	आर्थो टेक्नीशियन	01	01	01	—	03						
	रेडियोग्राफर	03	—	01	—	04						
	डार्क रूम असिस्टेंट	01	—	01	—	02						
	फार्मासिस्ट ग्रेड-2	03	01	01	01	06						
	टी.बी एंड चेस्ट हेल्थ विजिटर	01	—	01	—	02						
	ओ.टी. टेक्नीशियन	—	—	01	—	01						
	प्रोस्थेटिक/आर्थोटिक टेक्नीशियन	01	—	01	—	02						
	लैब अटेंडेंट	25	05	06	05	41						
	v.	श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)	श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)	फार्मासिस्ट ग्रेड-2	03	01				02	01	07
				सायटो टेक्नीशियन	01	—				—	—	01
				लाइब्रेरी अटेंडेंट	01	—				01	—	02
				लैब टेक्नीशियन	02	—	—	02	04			
				टेक्नीशियन अल्ट्रासाउण्ड	01	—	—	—	01			
				रेडियेशन टेक्नीशियन	01	—	01	—	02			
				डेंटल मेकेनिक	—	—	01	—	01			
				ड्रेसर	—	—	01	—	01			
				नेत्र विज्ञान टेक्नीशियन	01	—	—	—	01			
				लैब अटेंडेंट	15	06	08	05	34			
	vi.	बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)	बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)	रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन (रेडियोग्राफर/एक्सरे टेक्नीशियन)	04	02	01	01	08			
				टेक्नीशियन सर्जरी	02	01	—	—	03			
				टेक्नीशियन ऑपथलमॉलॉजी	01	—	—	—	01			
				डेंटल टेक्नीशियन	02	—	—	—	02			

भर्ती का प्रकार	प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम, जिनमें पद रिक्त हैं		पद	श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या				
				अना.	अजा.	अजजा	अपिव	कुल
सीधी भर्ती	2.	vi. बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)	आर्थो टेक्नीशियन	01	—	—	—	01
			ओ.टी टेक्नीशियन	01	—	—	—	01
			टेक्नीशियन (एनेस्थेसिया)	03	01	—	01	05
			टेक्नीशियन (ई.एन.टी.)	01	—	—	—	01
			टेक्नीशियन मेडिसीन/ डायलिसिस	02	—	—	—	02
			फार्मासिस्ट ग्रेड-2	15	06	03	04	28
			डार्करूम असिस्टेंट	02	01	—	—	03
	vii. मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियर (म.प्र.)	लैब टेक्नीशियन	01	—	—	—	01	
		रेडियोग्राफर	01	—	—	—	01	
	3.	संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ मध्यप्रदेश, भोपाल (म.प्र.)	रेडियोग्राफर	36	12	42	10	100
			प्रयोगशाला तकनीशियन	65	13	26	16	120
			नेत्र सहायक	11	04	40	05	60
			फार्मासिस्ट ग्रेड-2	269	79	206	66	620
	4.	संचालनालय पशुपालन कामधेनु भवन, वैशाली नगर, भोपाल(म.प्र.)	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	234	75	93	65	467
	5.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (गैस राहत), भोपाल (म.प्र.)	लैब अटेंडेंट	—	01	—	—	01
	6.	संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएँ मध्यप्रदेश, इंदौर (म.प्र.)	मिडवाईफ	25	01	01	01	28
			फार्मासिस्ट ग्रेड - 2	11	—	13	—	24
			ड्रेसर	09	—	—	—	09
			प्रयोगशाला सहायक	06	—	01	—	07
		हेल्थ विजीटर	01	—	—	—	01	
	7.	मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण, भोपाल (म.प्र.)	प्रयोगशाला सहायक	05	02	—	01	08
	8.	संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल, (म.प्र.)	प्रयोगशाला सहायक	05	02	02	01	10
	9.	नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)	प्रयोगशाला परिचारक	22	03	07	05	37
	कुल			879	241	500	209	1829

भर्ती का प्रकार	प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम, जिनमें पद रिक्त हैं		पद	श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या				
				अना.	अजा.	अजजा	अपिव	कुल
सीधी भर्ती बैकलॉग	10.	कमला नेहरू चिकित्सा गैस राहत, भोपाल (म.प्र.)	लैब टेक्नीशियन	—	03	05	01	09
	11.	मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल (म.प्र.)	प्रयोगशाला परिचारक	—	05	04	02	11
	कुल			—	08	09	03	20

भर्ती का प्रकार	प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम, जिनमें पद रिक्त हैं		पद	श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या				
				अना.	अजा.	अजजा	अपिव	कुल
संविदा भर्ती	12.	i. गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)	आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट	—	—	01	—	01
			ई.सी.जी टेक्नीशियन	07	02	02	02	13
			एनेस्थेसिया टेक्नीशियन	02	01	01	—	04
			इण्डोस्कोपिक टेक्नीशियन	01	—	01	—	02
			लैब टेक्नीशियन	01	—	01	—	02
			रेडियोग्राफर/ एक्सरे टेक्नीशियन (ट्रामा यूनिट)	02	01	01	—	04
			प्लास्टर टेक्नीशियन (ट्रामा यूनिट)	01	—	01	—	02
			योग			14	04	08

भर्ती का प्रकार	श्रेणीवार उपलब्ध कुल पद संख्या				
	अना.	अजा.	अजजा	अपिव	कुल
सीधी भर्ती	879	241	500	209	1829
सीधी भर्ती बैकलॉग	0	08	09	03	20
संविदा भर्ती	14	04	08	02	28
महायोग	893	253	517	214	1877

क्र.	पद का नाम	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती बैकलॉग	संविदा भर्ती	कुल
1.	लैब टेक्नीशियन (प्रयोगशाला तकनीशियन)	159	009	002	170
2.	ई.सी.जी. टेक्नीशियन	004	—	013	017
3.	ई.ई.जी. टेक्नीशियन	001	—	—	001
4.	रेडियोग्राफर	131	—	004	135
5.	ओ.टी. सहायक	003	—	—	003
6.	लैब असिस्टेंट (प्रयोगशाला सहायक)	056	—	—	056
7.	आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट	005	—	001	006
8.	लैब अटेडेन्ट (प्रयोगशाला परिचारक)	159	011	—	170
9.	एनेस्थेसिया टेक्नीशियन	005	—	004	009
10.	इण्डोस्कोपिक टेक्नीशियन	—	—	002	002
11.	प्लास्टर टेक्नीशियन	—	—	002	002
12.	फार्मासिस्ट ग्रेड-2	689	—	—	689
13.	ड्रेसर ग्रेड-2	020	—	—	020
14.	रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन	004	—	—	004
15.	मैस्यूर	001	—	—	001
16.	डार्क रूम असिस्टेंट	006	—	—	006
17.	एम.आर.आई / सीटी स्कैन टेक्नीशियन	001	—	—	001
18.	लैब कीपर	002	—	—	002
19.	आर्थो टेक्नीशियन	004	—	—	004
20.	टी.बी. एण्ड चेस्ट हेल्थ विजीटर	002	—	—	002
21.	प्रोस्थेटिक / आर्थोटिक टेक्नीशियन	002	—	—	002
22.	ओ.टी टेक्नीशियन	002	—	—	002
23.	सायटो टेक्नीशियन	001	—	—	001
24.	लाइब्रेरी अटेंडेंट	002	—	—	002
25.	टेक्नीशियन अल्ट्रासाउण्ड	001	—	—	001
26.	रेडियेशन टेक्नीशियन	002	—	—	002
27.	डेन्टल मेकेनिक	001	—	—	001
28.	नेत्र विज्ञान टेक्नीशियन (टेक्नीशियन ऑपथलमॉलॉजी)	002	—	—	002
29.	टेक्नीशियन सर्जरी	003	—	—	003
30.	डेन्टल टेक्नीशियन	002	—	—	002
31.	टेक्नीशियन ई.एन.टी.	001	—	—	001
32.	टेक्नीशियन मेडिसिन / डायलिसिस	002	—	—	002
33.	नेत्र सहायक	060	—	—	060
34.	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	467	—	—	467
35.	मिडवाईफ	028	—	—	028
36.	हेल्थ विजीटर	001	—	—	001
योग		1829	020	028	1877

(I) सीधी भर्ती के पदों का वर्गवार विवरण

1. deyk ug: fpdfRI k x9 jkgr] Hkksi ky ¼e-½

deyk ug: fpdfRI k x9 jkgr] Hkksi ky ¼e-½ के पत्र क्रमांक 2065/संचा./क.ने.चि./गै.रा.
/एन.जी./2014 भोपाल, दिनांक 23/09/2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है-

vkj {k.k rkfydk

a. I h/kh HkrhZ & bZl h-th VÐuhf'k; u & dgy 02 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	
	; kx	02	-	-	-	02	

orueku & 5200-20200 \$2100 xM is

'k\$kf.kd ; kx; rk &

- जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्ष का ई.सी.जी. टेक्नीशियन का डिप्लोमा।
- पैरामेडिकल कौन्सिल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य।

b. I h/kh HkrhZ & jfM; kxkQj & dgy 06 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	01	-	-	04	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	
	; kx	05	01	-	-	06	

orueku & 5200-20200 \$2800 xM is

'k\$kf.kd ; kx; rk &

- विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- रेडियोग्राफर का निर्धारित 6 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण तथा म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद से पंजीकृत होना चाहिये।

c. I h/kh HkrhZ & vksVh- I gk; d & dgy 02 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	
	; kx	02	-	-	-	02	

orueku & 5200-20200 \$1900 xM is

'k\$kf.kd ; kx; rk &

- विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- केन्द्र/राज्य के मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में मेजर ओ.टी. में एक वर्ष का कार्यानुभव।

2. I pkyuky; fpdfRI k f'k{kk e/; çns k] Hkksi ky ¼e-ç-½

I pkyuky; fpdfRI k f'k{kk e/; çns k] Hkksi ky (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 536/स्था/अराज/ 2014 भोपाल दिनांक 27/09/2014 के अंतर्गत एवं पत्र क्रमांक/1/अराज/स्था/15 भोपाल दिनांक 03.01.2015 एवं पत्र क्रमांक 164/स्था./अराज/2015 भोपाल दिनांक 03/03/2015 के अन्तर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

i. xk/kh fpdfRI k egkfo | ky;] Hkksi ky (म.प्र.)

vkj {k.k rkfydk

a. I h/kh HkrhZ & yfç vfl LVW & dgy 15 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	04	03	—	—	07	निःशक्तजनों की कुल 02 रिक्तियों में से 02 पद अस्थिबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	03	—	—	—	03	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	—	—	—	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	—	—	—	03	
	; kx	12	03	—	—	15	

orueku & 5200&20200\$1900 xM is

'kfkf.kd ; kx; rk &

- विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- म.प्र. पैरामेडिकल काउन्सिल से मान्यता प्राप्त सी.एम.एल.टी, डी.एम.एल.टी. अथवा बी.एम.एल.टी. कोर्स प्रशिक्षित को प्राथमिकता।

b. I h/kh HkrhZ & yfç Vduhf'k; u & dgy 10 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	04	01	02	—	07	निःशक्तजनों की कुल 02 रिक्तियों में से 01 पद अस्थिबाधित एवं 01 पद श्रवणबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	—	—	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	06	02	02	—	10	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

'kfkf.kd ; kx; rk &

- विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- मान्यता प्राप्त संस्था से पैथालॉजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा (डिप्लोमा डी.एम.एल.टी.) पैरामेडिकल काउन्सिल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

c. I h/kh HkrhZ & vksVh vfl LVW & dgy 01 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

'kfkf.kd ; kx; rk & विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

d. I h/kh HkrhZ & vkD; i s kuy Fkjfi LV & dgy 03 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	—	—	02	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	01	—	—	03	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

'k\$kf.kd ; kx; rk &

- जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- व्यावसायिक थेरेपिस्ट (आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट) का डिप्लोमा।

e. I h/kh HkrhZ & y& vVjMjV & dgy 42 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	11	07	05	—	23	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	04	02	—	—	06	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	05	03	—	—	08	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	02	—	—	05	
	; kx	23	14	05	—	42	

orueku & 4440&7440\$1300 xM is

'k\$kf.kd ; kx; rk & जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

f. I h/kh HkrhZ & jfM; kxkQj & dgy 06 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	01	—	—	04	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	05	01	—	—	06	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

'k\$kf.kd ; kx; rk &

- विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- रेडियोग्राफर का निर्धारित 6 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण।
- मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् में पंजीयन होना चाहिए।

ii. egkRek xk/kh Lefr fpdfRI k egkfo | ky;] blnkj (म.प्र.)

a. I h/kh HkrhZ & vkD; i s'kuy Fkjfi LV & dny 02 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	—	—	—	02	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	—	—	—	02	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

'kfkf.kd ; kx; rk &

1. जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. व्यावसायिक थेरेपिस्ट (आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट) का डिप्लोमा।

b. I h/kh HkrhZ & jfM; ksxQj & dny 04 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	—	—	—	02	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	; kx	04	—	—	—	04	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

'kfkf.kd ; kx; rk &

1. विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. रेडियोग्राफर का डिप्लोमा प्रशिक्षण उत्तीर्ण।
3. मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् में पंजीयन होना चाहिए।

c. I h/kh HkrhZ & Qkekfi LV xM&2 & dny 04 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	—	—	—	02	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	; kx	04	—	—	—	04	

orueku & 5200&20200\$1900 xM is

'kfkf.kd ; kx; rk &

1. विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का डिप्लोमा प्रशिक्षण उत्तीर्ण।
3. फार्मसी कौंसिल में फार्मासिस्ट का पंजीयन।

d. I h/kh HkrhZ & Mj xM&2 & dny 10 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	05	—	—	—	05	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	—	—	—	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	—	—	—	02	
	; kx	10	&	&	&	10	

orueku & 5200&20200\$1900 xM is

'kfkf.kd ; kx; rk &

1. जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. ड्रेसर का तीन माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण।

iii. xtjkjktk fpfdRI k egkfo |ky;] Xokfy; j (म.प्र.)

a. I h/kh HkrhZ & jfM; kFkjs h VDUhf'k; u & dgy 04 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	—	—	—	02	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kX	04	—	—	—	04	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

'kXkf.kd ; kX; rk &

1. जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. ए.ई.आर.बी. मुम्बई का रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग प्रमाण पत्र।

b. I h/kh HkrhZ & eL; ; j & dgy 01 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kX	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

'kXkf.kd ; kX; rk &

1. जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. फिजियोथेरेपी में डिग्री अथवा डिप्लोमा।

c. I h/kh HkrhZ & MkdZ : e vfl LVW & dgy 01 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kX	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$1900 xM is

'kXkf.kd ; kX; rk & विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

d. I h/kh HkrhZ & bZbZth VDUhf'k; u & dgy 01 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kX	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200 xM is

'kXkf.kd ; kX; rk &

1. जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. मान्यता प्राप्त संस्था से दो वर्ष का ई.ई.जी. टेक्नीशियन का डिप्लोमा।
3. सह चिकित्सकीय परिषद्, भोपाल में पंजीयन होना आवश्यक है।

e. I h/kh HkrhZ & y& vfl LVW/ & dgy 01 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

'k&kf.kd ; kx; rk & विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

f. I h/kh HkrhZ & jfM; kx&Qj & dgy 02 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	01	—	02	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	&	01	&	02	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

'k&kf.kd ; kx; rk &

1. विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. मान्यता प्राप्त संस्था से रेडियोग्राफर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए।
3. म.प्र. सह चिकित्सकीय परिषद् भोपाल में पंजीयन होना आवश्यक है।

g. I h/kh HkrhZ & , e-vkj-vkbZ@I h/h Ldu VDUhf'k; u & dgy 01 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

'k&kf.kd ; kx; rk &

1. जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. मान्यता प्राप्त संस्था से एम.आर.आई./सीटी स्कैन टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए।
3. म.प्र. सह चिकित्सकीय परिषद् भोपाल में पंजीयन होना आवश्यक है।

h. I h/kh HkrhZ & y& VDUhf'k; u & dgy 16 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	—	02	—	04	निःशक्तजनों की कुल 02 रिक्तियों में से 02 पद अस्थिबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	06	—	01	—	07	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	01	01	—	05	
	; kx	11	01	04	&	16	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

'k&kf.kd ; kx; rk &

1. विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से (डी.एम.एल.टी.) का दो वर्षीय डिप्लोमा।
3. म.प्र. सह चिकित्सकीय परिषद् भोपाल में पंजीयन होना आवश्यक है।

i. I h/kh HkrhZ & y& vVsMj & dgy 04 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	04	—	—	—	04	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	04	—	—	—	04	

orueku & 4440&7440\$1300 xM is

'k&f.kd ; kx; rk & जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

j. I h/kh HkrhZ & y& dhij & dgy 02 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	—	—	—	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	—	—	—	02	

orueku & 4440&7440\$1300 xM is

'k&f.kd ; kx; rk & जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

iv. usrkth I k&k"kpInz cks efMdy d&Nyst] tcyig (म.प्र.)

a. I h/kh HkrhZ & y& V&uhf'k; u & dgy 08 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	01	01	03	निःशक्तजनों की कुल 02 रिक्तियों में से 01 पद अस्थिबाधित एवं 01 पद अस्थिबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	03	01	—	—	04	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	05	01	01	01	08	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

'k&f.kd ; kx; rk &

1. विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से (डी.एम.एल.टी.) का दो वर्षीय डिप्लोमा/10 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण।
3. पैरामेडिकल कौंसिल में पंजीयन आवश्यक।

b. I h/kh HkrhZ & y& vfi LVW & dgy 15 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	05	02	01	—	08	निःशक्तजनों की कुल 01 रिक्ति में से 01 पद अस्थिबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	—	—	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	01	—	—	03	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	—	—	—	02	
	; kx	10	04	01	&	15	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

'k&f.kd ; kx; rk & विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

c. I h/kh HkrhZ & bZl h-th- VDUhf'k; u & dY 02 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	—	—	—	02	

orueku & 5200&20200\$2100 xM is

'kSkf.kd ; kX; rk &

1. जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्ष का ई.सी.जी. टेक्नीशियन का प्रशिक्षण।
3. पैरामेडिकल कौंसिल में पंजीयन आवश्यक।

d. I h/kh HkrhZ & vkFkkV/VDUhf'k; u & dY 03 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	01	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	01	—	—	03	

orueku & 5200&20200\$2400 xM is

'kSkf.kd ; kX; rk &

1. जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. प्रोस्थेटिक आर्थो टेक्नीशियन का डिप्लोमा।
3. पैरामेडिकल कौंसिल में पंजीयन आवश्यक।

e. I h/kh HkrhZ & jfM; kxkQj & dY 04 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	01	—	—	03	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	03	01	—	—	04	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

'kSkf.kd ; kX; rk &

1. विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. पैरामेडिकल कौंसिल म.प्र. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से रेडियोग्राफर का निर्धारित प्रशिक्षण उत्तीर्ण।
3. पैरामेडिकल कौंसिल में पंजीयन आवश्यक।

f. I h/kh HkrhZ & Mkdl : e vfl LV & dY 02 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	—	—	—	02	

orueku & 5200&20200\$1900 xM is

'kSkf.kd ; kX; rk &

1. विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. रेडियोग्राफर प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवार को प्राथमिकता।

g. I h/kh HkrhZ & QkekFI LV xM&2 & dY 06 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	02	01	—	03	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	; kx	03	02	01	—	06	

orueku & 5200&20200\$1900 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

1. विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. फार्मासिस्ट का डिप्लोमा।
3. फार्मसी कौंसिल से फार्मासिस्ट का पंजीयन।

h. I h/kh HkrhZ & Vh-ch, M pLV gYFk fothVj & dY 02 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	—	—	—	02	

orueku & 5200&20200\$2400 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

1. विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. मान्यता प्राप्त संस्था से ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजीटर कोर्स उत्तीर्ण।

i. I h/kh HkrhZ & vksVh- VDUhf'k; u & dY 01 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2400 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

1. भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. मान्यता प्राप्त संस्था से ओ.टी. टेक्नीशियन का डिप्लोमा प्राप्त।
3. म.प्र. पेरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन आवश्यक।

j. I h/kh HkrhZ & çkLFkVd@vkFkVd VDUhf'k; u & dY 02 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	—	—	—	02	

orueku & 5200&20200\$2400 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

1. भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोस्थेटिक/आर्थोटिक डिप्लोमा, आर.सी.आई. (रिहैब्लिटेशन काउंसिल ऑफ इण्डिया) में पंजीयन।

k. I h/kh HkrhZ & y& vVM/ & dgy 41 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	09	09	05	02	25	निःशक्तजनों की कुल 02 रिक्तियों में से 01 पद अस्थिबाधित एवं 01 पद श्रवणबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	02	02	—	05	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	02	02	—	06	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	02	02	—	05	
	; kx	13	15	11	02	41	

orueku & 4440&7440\$1300 xM is

'k&kf.kd ; kx; rk & जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

v. ' ; ke 'kkg fpdfRI k egkfo | ky; ; jhok (म.प्र.)

a. I h/kh HkrhZ & QkekFI LV xM&2 & dgy 07 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	—	—	—	03	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	—	—	—	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	; kx	07	—	—	—	07	

orueku & 5200&20200\$1900 xM is

'k&kf.kd ; kx; rk &

1. विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. फार्मासिस्ट का डिप्लोमा।
3. फार्मसी कौंसिल से फार्मासिस्ट का पंजीयन।

b. I h/kh HkrhZ & I k; Vks VDUhf' k; u & dgy 01 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2400 xM is

'k&kf.kd ; kx; rk &

1. विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. सायटो टेक्नीशियन का प्रशिक्षण उत्तीर्ण।
3. पैरामेडिकल कौंसिल भोपाल से पंजीयन।

c. I h/kh HkrhZ & ykbcjgh vVM/ & dgy 02 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	—	—	—	02	

orueku & 5200&20200\$1800 xM is

'k&kf.kd ; kx; rk & जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

d. I h/kh HkrhZ & yf VDUhf'k; u & dgy 04 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	—	—	—	02	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	—	—	—	02	
	; kx	04	—	—	—	04	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

1. विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. पैथालॉजी लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 10 माह/एक वर्ष का शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से प्रशिक्षण उत्तीर्ण अथवा डिप्लोमा इन मेडिकल पैथालॉजी।
3. पैरामेडिकल कौंसिल से पंजीयन अनिवार्य।

e. I h/kh HkrhZ & VDUhf'k; u vYVkl km.M & dgy 01 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2400 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

1. विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. अल्ट्रासाउण्ड टेक्नीशियन प्रशिक्षण उत्तीर्ण।

f. I h/kh HkrhZ & jfM; s'ku VDUhf'k; u & dgy 02 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	—	—	—	02	

orueku & 5200&20200\$2400 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

1. जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. दो वर्ष का थेरेपी रेडियोग्राफर्स कोर्स अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष योग्यता।

g. I h/kh HkrhZ & MfVy edfud & dgy 01 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2400 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

1. जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. मान्यता प्राप्त संस्था से डेन्टल मेकेनिक का दो वर्ष का प्रशिक्षण एवं डेन्टल कौंसिल से पंजीकृत।

h. I h/kh HkrhZ & Mj j & dgy 01 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$1900 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

1. जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. ट्रेसर का तीन माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण।

i. I h/kh HkrhZ & us= foKku VDuhf'k; u & dgy 01 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2400 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

1. विज्ञान विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. दो वर्ष का अप्टोमेट्रिस्ट में डिप्लोमा और आरपी सेंटर नई दिल्ली से डिग्री/डिप्लोमा आथल्टिक टेक्निक तथा उपकरण के रख रखाव का चिकित्सालय का दो वर्ष का अनुभव।

j. I h/kh HkrhZ & yf vVMA/ & dgy 34 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	11	04	—	—	15	निःशक्तजनों की कुल 03 रिक्तियों में से . 02 पद अस्थिबाधित एवं 1 पद श्रवणबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	05	01	—	—	06	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	07	01	—	—	08	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	04	01	—	—	05	
	; kx	27	07	—	—	34	

orueku & 4440&7440\$1300 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk & जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

vi. cDnsy [k.M fpcfRI k egkfo | ky;] I kxj ½-¼

a. I h/kh HkrhZ & jfM; kxkfQd VDuhf'k; u ½ fM; kxkQj@, DI js VDuhf'k; u½ & dgy 08 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	01	—	—	04	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	—	—	—	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	; kx	07	01	—	—	08	

orueku & 5200&20200\$2400 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

1. विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का डिप्लोमा उत्तीर्ण।
3. डिप्लोमाधारी एवं संबंधित संस्था का म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से रजिस्ट्रेशन आवश्यक।

b. I h/kh HkrhZ & VDUhf'k; u I tjh & dly 03 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	—	—	—	02	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	03	—	—	—	03	

orueku & 5200&20200\$2400 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

1. जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से ओ.टी./सर्जरी टेक्नीशियन का डिप्लोमा उत्तीर्ण।
3. डिप्लोमाधारी एवं संबंधित संस्था का म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से रजिस्ट्रेशन आवश्यक।

c. I h/kh HkrhZ & VDUhf'k; u vKMFkyeky/kMeh & dly 01 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2400 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

1. विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से नेत्र सहायक (ऑपथलमिक असिस्टेंट) का दो वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राजकीय शिक्षा से उत्तीर्ण होना अथवा दृष्टिमिति तथा अपवर्तन (ऑप्टामेट्री एण्ड रिफ्रैक्शन) में डिप्लोमा तथा नेत्र शिविर तथा अन्य में तीन माह का प्रशिक्षण होना चाहिए।
3. डिप्लोमाधारी एवं संबंधित संस्था का म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से रजिस्ट्रेशन आवश्यक।

d. I h/kh HkrhZ & MUVy VDUhf'k; u & dly 02 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	—	—	—	02	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	—	—	—	02	

orueku & 5200&20200\$2400 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

1. जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से डेन्टल टेक्नीशियन का डिप्लोमा।
3. डिप्लोमाधारी एवं संबंधित संस्था का म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से रजिस्ट्रेशन आवश्यक।

e. I h/kh Hkrh'z & vkFkk'z VDUhf'k; u & dgy 01 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2400 xM is

'k'kf.kd ; kx; rk &

- जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से आर्थो का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा।
- डिप्लोमाधारी एवं संबंधित संस्था का म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से रजिस्ट्रेशन आवश्यक।

f. I h/kh Hkrh'z & vksVh VDUhf'k; u & dgy 01 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2400 xM is

'k'kf.kd ; kx; rk &

- जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से ओ.टी. टेक्नीशियन का डिप्लोमा।
- डिप्लोमाधारी एवं संबंधित संस्था का म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से रजिस्ट्रेशन आवश्यक।

g. I h/kh Hkrh'z & VDUhf'k; u , uflFkfl ; k & dgy 05 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	—	—	—	03	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	; kx	05	—	—	—	05	

orueku & 5200&20200\$2400 xM is

'k'kf.kd ; kx; rk &

- जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से एनेस्थिसिया टेक्नीशियन का डिप्लोमा।
- डिप्लोमाधारी एवं संबंधित संस्था का म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से रजिस्ट्रेशन आवश्यक।

h. I h/kh Hkrh'z & VDUhf'k; u b'z, u-Vh- & dgy 01 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2400 xM is

'k'kf.kd ; kx; rk &

- जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से डिप्लोमा इन हियरिंग एण्ड स्पीच लेंग्वेज (डी.एच.एल.एस.) टेक्नीशियन का डिप्लोमा।
- डिप्लोमाधारी एवं संबंधित संस्था का म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से रजिस्ट्रेशन आवश्यक।

i. I h/kh HkrhZ & VDUhf'k; u efmfl u@Mk; fyfl I & dgy 02 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	—	—	—	02	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	—	—	—	02	

orueku & 5200&20200\$2400 xM is

'k&kf.kd ; kx; rk &

1. जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से हिमोजायलिसीस का डिप्लोमा।
3. डिप्लोमाधारी एवं संबंधित संस्था का म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से रजिस्ट्रेशन आवश्यक।

j. I h/kh HkrhZ & Qkekfl LV xM&2 & dgy 28 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	10	04	01	—	15	निःशक्तजनों की कुल 01 रिक्ति में से .01 पद अस्थिबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	05	01	—	—	06	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	01	—	—	03	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	01	—	—	04	
	; kx	20	07	01	—	28	

orueku & 5200&20200\$1900 xM is

'k&kf.kd ; kx; rk &

1. विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का डिप्लोमा।
3. फार्मसी काउंसिलिंग से फार्मासिस्ट का पंजीयन।

k. I h/kh HkrhZ & MkdZ e vfl LV& & dgy 03 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	—	—	—	02	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	03	—	—	—	03	

orueku & 4440&7440\$1400 xM is

'k&kf.kd ; kx; rk & विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

vii I pkdyd] Xokfy; j ekufI d vkj kx; 'kkyk] Xokfy; j (म.प्र.)

vkj {k.k rkfydk

a. I h/kh HkrhZ & y& VDUhf'k; u & dgy 01 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

'k&kf.kd ; kx; rk &

1. विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डी.एम.एल.टी.) एवं पैरामेडिकल कौंसिल का पंजीयन अनिवार्य है।

b. I h/kh HkrhZ & jfM; ksxkQj & dgy 01 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; ksx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

'kskf.kd ; kx; rk &

1. विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. मान्यता प्राप्त संस्था से रेडियोग्राफर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिये एवं म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद् भोपाल में पंजीयन होना आवश्यक है।

3. I pkyuky; LokLF; I ok, e/; çns k] Hkks ky ½-ç-½

I pkyuky; LokLF; I ok, e/; çns k] Hkks ky (म.प्र.) के पत्र क्रमांक/2/अवि/सेल-2/2014/705-यू भोपाल दिनांक 27.09.2014 एवं पत्र क्रमांक/2/अवि/सेल-2/2015/56-जेड भोपाल दिनांक 20.02.2015 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

vkj {k.k rkfydk

a. I h/kh HkrhZ & jfM; ksxkQj & dgy 100 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	23	09	03	01	36	निःशक्तजनों की कुल 02 रिक्तियों में से 02 पद अस्थिबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	08	03	01	—	12	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	27	11	02	02	42	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	06	03	01	—	10	
	; ksx	64	26	07	03	100	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

U; ure 'kskf.kd vgrk &

1. विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री/10+2 शिक्षा पद्धति में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं
2. रेडियोग्राफर का निर्धारित 6 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण।
3. मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् में पंजीयन।

okNuh; 'kskf.kd vgrk@vukko

- &
1. एकसरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का
 - अ. दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम अथवा
 - ब. तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम
 2. मध्यप्रदेश सहचिकित्सीय परिषद् में पंजीयन।

b. I h/kh HkrhZ & c; ksx' kkyk rdulhf' k; u & dty 120 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	42	17	04	02	65	निःशक्तजनों की कुल 02 रिक्तियों में से 02 पद अस्थिबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	08	04	01	—	13	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	16	07	02	01	26	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	10	04	02	—	16	
	; ksx	76	32	09	03	120	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

U; ure 'kskf.kd vgrk&

- विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री/10+2 शिक्षा पद्धति में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं
- रोग विज्ञान तकनीशियन (पैथालॉजी तकनीशियन) का निर्धारित 10 माह/1 वर्ष का प्रशिक्षण या चिकित्सीय रोग विज्ञान में डिप्लोमा (डिप्लोमा इन मेडिकल पैथालॉजी) होना चाहिए।
- मध्यप्रदेश सहचिकित्सीय परिषद् में पंजीयन।

okNuh; 'kskf.kd vgrk@vuuko

- पैथालॉजी का
 - दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डी.एम.एल.टी.)
अथवा
 - तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम (बी.एम.एल.टी.)
अथवा
 - दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम.एम.एल.टी.)
- मध्यप्रदेश सहचिकित्सीय परिषद् में पंजीयन।

c. I h/kh HkrhZ & us= l gk; d & dty 60 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	07	02	02	—	11	निःशक्तजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 01 पद अस्थिबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	03	01	—	—	04	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	26	10	03	01	40	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	04	01	—	—	05	
	; ksx	40	14	05	01	60	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

U; ure 'kskf.kd vgrk &

- विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री/10+2 शिक्षा पद्धति में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं
- राज्य की चिकित्सा संस्था से नेत्र सहायक (आफथलमिक असिस्टेंट) का दो वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण या दृष्टिमिति तथा अपवर्तन (आप्टोमेट्री एण्ड रिफ्रेक्शन) में डिप्लोमा तथा नेत्र शिविर तथा अन्य में 3 माह का प्रशिक्षण होना चाहिए।
- मध्यप्रदेश सहचिकित्सीय परिषद् में पंजीयन।

d. I h/kh HkrhZ & Qkekfl LV xM&2 & dty 620 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	171	71	18	09	269	निःशक्तजनों की कुल 12 रिक्तियों में से 12 पद अस्थिबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	50	21	05	03	79	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	132	54	13	07	206	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	41	18	05	02	66	
	; ksx	394	164	41	21	620	

orueku & 5200&20200\$1900 xM is

U; ure 'kskf.kd vgrk &

- विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री/10+2 शिक्षा पद्धति में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं
- मध्यप्रदेश सरकार द्वारा यथा अनुमोदित औषध निर्माण (फार्मसी) में डिप्लोमा तथा
- मध्यप्रदेश फार्मसी कौंसिल में भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) के रूप में पंजीयन।

okNuh; 'kskf.kd vgrk@vuuko &

- मध्यप्रदेश सरकार द्वारा यथा अनुमोदित औषध निर्माण (फार्मसी) में डिप्लोमा
अथवा
- मध्यप्रदेश सरकार द्वारा यथा अनुमोदित औषध निर्माण (फार्मसी) में बी-फार्मा डिग्री
अथवा
- मध्यप्रदेश सरकार द्वारा यथा अनुमोदित औषध निर्माण (फार्मसी) में एम-फार्मा डिग्री।
- मध्यप्रदेश फार्मसी कौंसिल में फार्मासिस्ट के रूप में पंजीयन।

4. I pkyuky; i 'kij kyu dke/kuw Hkou] oS kkyh uxj] Hkksi ky ¼e-¼½

I pkyuky; i 'kij kyu dke/kuw Hkou] oS kkyh uxj] Hkksi ky ¼e-¼½ के पत्र क्रमांक 9942/स्था.ब/बैकलॉग/2014 भोपाल, दिनांक 18/09/2014 एवं पत्र क्रमांक 2718 दिनांक 28.02.2015 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

vkj {k.k rkfydk

I h/kh HkrihZ & I gk; d i 'kq fpdfRI k {ks= vf/kdkjh & dgy 467 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	148	63	16	07	234	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	47	21	05	02	75	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	59	25	06	03	93	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	41	17	05	02	65	
	; ks	295	126	32	14	467	

orueku & 5200-20200 \$ 2400 xM is

'kskf.kd ; kx; rk &

- हायर सेकेण्ड्री (10+2) प्रणाली से 12वीं परीक्षा विज्ञान विषय (जीव विज्ञान/गणित/कृषि) से उत्तीर्ण ।
- अनिवार्य न्यूनतम योग्यता – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशुपालन विज्ञान में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण ।
- ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने रिमाउंट वेटेशीनरी कॉर्प में ड्रेसर ग्रेड-1 एवं 2 के रूप में 15 वर्ष की सेवायें पूर्ण की हो, इस परीक्षा हेतु पात्र उम्मीदवार होंगे । इन्हें बिन्दु क्रमांक-1 एवं 2 की अर्हता से छूट होगी ।

5. dk; kly; eq; fpdfRI k , oa LokLF; vf/kdkjh ¼xS jkgr¼ Hkksi ky ¼e-¼½

dk; kly; eq; fpdfRI k , oa LokLF; vf/kdkjh ¼xS jkgr¼ Hkksi ky ¼e-¼½ के पत्र क्रमांक 5298/मुचिअ/गैरा/अ.प्र./2014 भोपाल, दिनांक 03.09.2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है-

vkj {k.k rkfydk

I h/kh HkrihZ & yf vVMM & dgy 01 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	निःशक्तजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 01 पद अस्थिबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा । यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	
	; ks	01	-	-	-	01	

orueku & 5200-20200 \$ 2400 xM is

'kskf.kd ; kx; rk & जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

6. I pkyuky; depkjh jkT; chek I ok, e/; çns k] bnkš ½e-ç-½

I pkyuky; depkjh jkT; chek I ok, e/; çns k] bnkš ½e-ç-½ के पत्र क्रमांक स्था./अवि.
/2014/8697 इंदौर, दिनांक 25/09/2014 एवं पत्र क्रमांक/635 इंदौर, दिनांक 04/10/2014 एवं पत्र
क्रमांक/स्था./अवि./2015/2005 इंदौर, दिनांक 11/03/15 एवं पत्र क्रमांक 245, भोपाल दिनांक 11/03/15
के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है—

vkj {k.k rkfydk

a. I h/kh HkrhZ & feMokbD & dy 28 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	25	—	—	25	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	01	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	01	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	01	—	—	01	
	; kx	&	28	&	&	28	

orueku & 5200-20200 \$ 2100 xM is

'kškf.kd ; kx; rk &

- 1- म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा इस प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त अन्य मंडल से जीव विज्ञान समूह के विषयों के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- 2- किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मिडवाईफरी में एक वर्षीय पाठ्यक्रम।

b. I h/kh HkrhZ & OkekfI LV xM & 2 & dy 24 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	08	03	—	—	11	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	09	04	—	—	13	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	17	07	&	&	24	

orueku & 5200-20200 \$ 1900 xM is

'kškf.kd ; kx; rk &

- 1- म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा इस प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त अन्य मंडल से विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- 2- मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मसी में उपाधि/डिप्लोमा व म.प्र. फार्मसी परिषद् में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट।

c. I h/kh HkrhZ & Mš j & dy 09 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	09	—	—	09	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	—	09	—	—	09	

orueku & 5200-20200 \$ 1800 xM is

'kškf.kd ; kx; rk &

- 1- म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा इस प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त अन्य मंडल से जीवविज्ञान विषय से हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- 2- ड्रेसिंग का ज्ञान।

d. I h/kh HkrhZ & ç; ksx'kkyk I gk; d & dgy 07 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	04	02	—	—	06	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; ksx	05	02	&	&	07	

orueku & 5200-20200 \$ 1900 xM is

'kskf.kd ; kX; rk &

- 1- म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा इस प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त अन्य मंडल से विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- 2- किसी मान्यता प्राप्त संस्था से (एक वर्षीय पाठ्यक्रम) चिकित्सकीय प्रयोगशाला तकनीशियन का प्रमाण पत्र/डिप्लोमा।

e. I h/kh HkrhZ & gYFk fothVj & dgy 01 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; ksx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200-20200 \$ 2400 xM is

'kskf.kd ; kX; rk &

- 1- म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा इस प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त अन्य मंडल से जीव विज्ञान समूह के विषयों के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- 2- किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हेल्थ विजीटर (एक वर्षीय पाठ्यक्रम) का प्रमाण पत्र/डिप्लोमा।

7. e/; çns'k jkT; cht çek.khdj.k] Hkks'ky ½-ç-½

मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण, भोपाल (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 5710/स्था./लि.वर्ग/नियु./416/2010-14 भोपाल दिनांक 24.09.2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है—

vkj{k.k rkfydk

I h/kh HkrhZ & ç; ksx'kkyk I gk; d & dgy 08 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	04	01	—	—	05	निःशक्तजनों की कुल 02 रिक्तियों में से 02 पद अस्थिबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	—	—	—	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	; ksx	07	01	&	&	08	

orueku & 5200-20200 \$ 1900 xM is

'kskf.kd ; kX; rk & विज्ञान विषय लेकर (वनस्पति समूह से) हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

8. संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल] 1/2-1/2

संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल, (म.प्र.) के पत्र क्रमांक अ-3-अ/ग्रा.से./स्था.

/05-2013/3960 भोपाल दिनांक 23.09.2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

vkj{k.k rkfydk

I h/kh HkrhZ & c; ksx'kkyk I gk; d & dy 10 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	01	01	—	05	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	—	—	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	01	—	—	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	; ksx	06	03	01	&	10	

orueku & 5200&20200\$1900 xM is

'kskf.kd ; kx; rk & विज्ञान समूह के विषयों के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

9. नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 109/शैक्षणिक/2015, जबलपुर, दिनांक 09.01.2015 एवं पत्र क्रमांक 511/शैक्षणिक/भर्ती/2015 दिनांक 05.03.2015 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

vkj{k.k rkfydk

I h/kh HkrhZ - प्रयोगशाला परिचारक - dy 37 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	16	06	—	—	22	निःशक्तजनों की कुल 03 रिक्त में से 03 पद अस्थिबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित हैं। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	01	—	—	03	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	05	02	—	—	07	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	02	—	—	05	
	; ksx	26	11	—	—	37	

orueku & 5200&20200\$1800 xM is

'kskf.kd ; kx; rk &

- हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा जीव विज्ञान विषय के साथ द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए।
- प्रयोगशाला कार्य का चार वर्ष का अनुभव।

(II) सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों का वर्गवार विवरण

10. deyk ug: fpfdRI k x9 jkgr] Hkksi ky ½e-ç-½

deyk ug: fpfdRI k x9 jkgr] Hkksi ky ½e-ç-½ के पत्र क्रमांक 2065/संचा./क.ने.चि./गै.रा. /एन.जी./2014 भोपाल, दिनांक 23/09/2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है-

vkj {k.k rkfydk

I h/kh Hkrih cdyk & yf VDuhf' k; u & dty 09 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	01	-	-	03	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	02	-	-	05	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	01	
	; ks	06	03	-	-	09	

orueku & 5200-20200 \$2800 xM is

'kskf.kd ; ks; rk &

1. विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. प्रयोगशाला तकनीशियन का 01 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या रोग चिकित्सा में डिप्लोमा (डिप्लोमा इन मेडिकल पैथोलॉजी) तथा म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद से पंजीकृत होना चाहिये।

11. e/; çns k çnWk.k fu; æ.k ckM] Hkksi ky ½e-ç-½

e/; çns k çnWk.k fu; æ.k ckM] Hkksi ky ½e-ç-½ के पत्र क्रमांक 1921/स्था./प्रनिबो/2012/ भोपाल दिनांक 15/07/2013 एवं पत्र क्रमांक 430 भोपाल दिनांक 09/03/2015 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है-

vkj {k.k rkfydk

I h/kh Hkrih cdyk & ç; ks' kkyk i fjkjd & dty 11 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	03	02	-	-	05	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	01	-	-	04	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	02	-	-	02	
	; ks	06	05	&	&	11	

orueku & 5200-20200 \$ 1800 xM is

'kskf.kd ; ks; rk & जीवविज्ञान विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(III) संविदा भर्ती के पदों का वर्गवार विवरण

12. I pkyuky; fpfdRI k f'k{kk e/; çns'k] Hkksi ky ¼e-ç-½

I pkyuky; fpfdRI k f'k{kk e/; çns'k] Hkksi ky (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 536/स्था/अराज/2014 भोपाल दिनांक 27/09/2014 के अंतर्गत एवं पत्र क्रमांक/1/अराज/स्था/15 भोपाल दिनांक 03.01.2015 एवं पत्र क्रमांक 164/स्था./अराज/2015 भोपाल दिनांक 03/03/2015 के अन्तर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

i. xkzkh fpfdRI k egkfo|ky;] Hkksi ky (म.प्र.)

a. I fonk Hkrih & vkD; i' s'kuy Fkjfi LV ¼h, e-vkj-½ & dty 01 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	
	; kx	01	-	-	-	01	

orueku & 16560@& fODI is

'k{kf.kd ; kx; rk &

- जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- व्यावसायिक थेरेपिस्ट (आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट) का डिप्लोमा।

b. I fonk Hkrih & bZl h-th VDuif'k; u ¼dkfM; d I kba I ¼Vj½ & dty 13 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	05	02	-	-	07	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	-	-	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	01	-	-	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	01	-	-	02	
	; kx	08	05	&	&	13	

orueku & 15730@& fODI is

'k{kf.kd ; kx; rk &

- जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्ष का ई.सी.जी. टेक्नीशियन का डिप्लोमा।
- पैरामेडिकल कौन्सिल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य।

c. I fonk Hkrih & , uL'kfi ; k VDuif'k; u ¼dkfM; d I kba I ¼Vj½ & dty 04 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	-	-	02	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	
	; kx	03	01	&	&	04	

orueku & 15730@& fODI is

'k{kf.kd ; kx; rk &

- जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- मान्यता प्राप्त संस्था से एनेस्थेसिया टेक्नीशियन का डिप्लोमा।
- पैरामेडिकल कौन्सिल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य।

d. I fonk Hkrih & b.MkLdkfi d VDUhf'k; u %mnj jks% & dty 02 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	&	&	&	02	

orueku & 15730@& fQDI is
'k%kf.kd ; k% ; rk &

1. जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. एक वर्ष के कार्य का अनुभव इन्डोस्कोपिक टेक्नीशियन।
3. पैरामेडिकल कौन्सिल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य।

e. I fonk Hkrih & yf VDUhf'k; u %mnj jks% & dty 02 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	—	—	—	02	

orueku & 15730@& fQDI is
'k%kf.kd ; k% ; rk &

1. विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. मान्यता प्राप्त संस्था से पैथालॉजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा (डिप्लोमा डी.एम.एल.टी.) पैरामेडिकल काउन्सिल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
3. पैरामेडिकल कौन्सिल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य।

f. I fonk Hkrih & jfM; k%kQj@, DI js VDUhf'k; u %W%ek ; fuV% & dty 04 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	—	—	02	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	03	01	&	&	04	

orueku & 15730@& fQDI is
'k%kf.kd ; k% ; rk &

1. विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. रेडियोग्राफर का निर्धारित 6 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण।
3. म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् में पंजीयन।

g. I fonk Hkrih & lykLVj VDUhf'k; u %W%ek ; fuV% & dty 02 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	—	—	—	02	

orueku & 15730@& fQDI is
'k%kf.kd ; k% ; rk &

1. जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. मान्यता प्राप्त संस्था से आर्थो टेक्नीशियन का डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र।
3. पैरामेडिकल कौन्सिल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य।

अध्याय – 3
मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश

[k. M&v

- 3-1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
- (ii) अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुये एक से अधिक विभाग/कार्यालय के लिए अपना विकल्प/अधिमान चिह्नित कर सकेगा। आनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
- (iii)
- 3-2 (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य रूप से होने चाहिये ।
- (ii) आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी ।
- (iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा ।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा ।
- (v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

3-3

- (i) मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।
- (ii) काला बॉलप्वाइंट पेन।
- (ii) फोटोयुक्त पहचान पत्र – मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, अंकसूची मय फोटोग्राफ, बैंक पासबुक मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य।

- (iv) यदि आवेदक द्वारा उपरोक्त के अलावा अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का चयन किया जाता है तो वह कौन सा दस्तावेज है इसकी जानकारी अतिरिक्त सह-आई.डी. के रूप में प्रदान करनी होगी। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
- (v) अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्तानुसार फोटोयुक्त पहचान पत्र परीक्षा तिथि पर साथ नहीं लाने की स्थिति में ही मण्डल द्वारा जारी प्रवेश-पत्र (टी.ए.सी.) के द्वितीय भाग में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में प्रयोग किया गया फोटो लगाकर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा, परीक्षार्थी को तभी परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्रता होगी।

3.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात् Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener आदि पूर्णतः वर्जित है।

3-5 e/; i ns' k ds LFkkbZ fuokl h vkondka ds fy, vk; q l hek %&

- (i) अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष की 01 जनवरी 2015 को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं.सी-3-11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 के अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की आयुसीमा की गणना निम्नानुसार है :-

स.क्रं.	आवेदक एवं श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा
1.	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2.	पुरुष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
3.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
4.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग-शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
5.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
6.	महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)(विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	45 वर्ष
7.	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
8.	म0प्र0 के भूतपूर्व सैनिक आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	43 वर्ष
9.	म0प्र0 के भूतपूर्व सैनिक आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
10.	म0प्र0 के विकलांग आवेदक (समस्त वर्ग)	45 वर्ष

3-6 e/; i nš k ds LFkkl fuokl h vkonkka dks i kRl kgu Lo: i nh tkus okyh Nw%&

- (i) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-40-आ-84-(3)1, दिनांक 11.01.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जावेगी।
- (ii) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-10-85-3-1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जावेगी।
- (iii) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-18-85-3-1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

3-7 e/; i nš k ds LFkkl fuokl h vkonkka dh vk; q l hek ds l xrk ea vl; foofj.k %&

- (i) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
- (ii) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

Li "Vhdj.k %& शब्द "छटनी" किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था।

- (iii) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

Li "Vhdj.k %& शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :-

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति-रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और
 - (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
 - (ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,
- (3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।
- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो।
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों।
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे।
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्रं. 3345-4005-सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

Vhi % (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग-पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

1/2½ यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह छूट निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा के अतिरिक्त होगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3-8 fyf[kr ijh{k k ea fu% kDr tu vH; fFkZ; ka ds fy, mi yC/k I fo/kk, j %&

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-

(i) ; g I fo/kk fuEufyf[kr vH; fFkZ; ka dks i nku dh tkosxh %&

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
5. निशक्तजन अभ्यर्थियों की बैठक व्यवस्था परीक्षा केन्द्र में भूतल पर ही अनिवार्य रूप से की जायेगी। इसके साथ ही रैम्प का निर्माण भी यथासम्भव किया जायेगा।

(ii) ys[ku fyfi d dh I fo/kk %&

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(iii) ys[ku fyfi d dh fu; fDr grq 'kr %&

1. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।
2. लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ-पत्र सहित संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्र अधीक्षक को अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाकर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगी।

(iv) bl ds vfrfjDr i nk; dh tkus okyh I fo/kk, W %&

1. परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएँ मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए मण्डल द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा।
2. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

3-9 i d's k&i = i klr djus dh i f0; k %&

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र मण्डल की वेबसाईट **www.vyapam.nic.in** से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

uk& प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3-10 i jh{k i d's k&i = (Test Admit Card) :-

- (i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट **www.vyapam.nic.in** पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे।
- (ii) मण्डल की वेबसाईट पर जारी किया गया टेस्ट एडमिट कार्ड दो-भागों में जारी किया जायेगा जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।
- (iii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।
- (iv) आवेदक यदि आवेदन पत्र में उल्लेखित अनुसार फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ उपस्थित नहीं होता है तो उसे मण्डल के टेस्ट एडमिट कार्ड के द्वितीय भाग में पूर्व में प्रेषित ऑनलाईन आवेदन पत्र वाला फोटो लगाकर उसे राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के पात्रता नहीं होगी तथा इस प्रकार के अभ्यर्थियों को 'रासा' में अनुपस्थित अंकित किया जायेगा।
- (v) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि अंकित करना होगी। प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

3.11 मूल्यांकन पद्धति :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero)अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

3-12 =fVi w k i z u] ml dk fujLrhdj . k , oa cnys ea fn; k x; k vd %&

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

- (i) प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
- (ii) प्रश्न की संरचना गलत हो।
- (iii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
- (iv) कोई भी विकल्प सही न हो।

- (v) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
- (vi) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
- (vii) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।
- (ix) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

mnkgj.k 01 :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83 \text{ rounded off to } 92.00$$

mnkgj.k 02 :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89 \text{ rounded off to } 142.00$$

mnkgj.k 03 :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91 \text{ rounded off to } 192.00$$

uk& % I Hkh x.kuk dks n'keyo ds nks vdkar rd jkmMvkWQ fd; k tk; sxA

3.13 प्रश्नपुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :-

- (i) प्रश्न-पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।
- (ii) बिन्दु क्रमांक 3.12 अनुसार मण्डल द्वारा प्रश्न-पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम "की" (आदर्श उत्तर) तैयार की जायेगी।
- (iii) आदर्श उत्तरों के संबंध में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

3.14 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :-

- (i) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
- (ii) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
- (iii) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
- (iv) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
- (v) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
- (vi) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला-बदली करना।
- (vii) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।
- (viii) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
- (ix) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
- (x) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
- (xi) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।
- (xii) उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा।
- (xiii) इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौंपा जायेगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
- (xiv) यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा।
- (xv) विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

(xvi) परीक्षार्थियों द्वारा ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स में व्हाईटनर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। मण्डल कार्यालय को व्हाईटनर लगी ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स प्राप्त होने से इन्हे स्केनर द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है जिससे तकनीकी रूप से स्केनरर्स में परेशानी होती है तथा इस प्रकार की कार्यवाही परीक्षा नियमों के भी विपरीत है। अतः व्हाईटनर के प्रयोग वाली ओ0एम0आर0 उत्तर शीटों के ऐसे प्रकरणों को यू0एफ0एम0 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।

(xvii) परीक्षार्थियों के विरुद्ध परीक्षा के पूर्व/दौरान/पश्चात परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जानें अथवा परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण में संलिप्ता पाये जाने पर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए संबंधित परीक्षार्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।

3-15 ijh{kk ifj.kke dk i dk'ku %&

(i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

(ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

(iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराया जावेगा।

3-16 ijh{kk ifj.kke %&

(i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड किया जायेगा।

(ii) तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

3-17 e-i z 0; kol kf; d ijh{kk eMy dk dk; l i d's k@Hkrh@i k=rk ijh{kkvka dk l pkyu , oaml dk ifj.kke ?kks'kr djuk ek= gksxk %&

(i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा।

(ii) मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

(iii) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

3-18 U; kf; d {ks=kf/kdkj %& परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

3-19 vkWlykbL vkonu&i = ds l kfk l yXu fd; s tkus okys nLrkostka dk foofj.k %&

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को स्वयं की हस्तलिपि में दो लाईनें स्कैन करवाकर संलग्न करनी होंगी। इस प्रकार हस्तलिपि के नमूने को 'रासा' पर प्रिंट किया जायेगा जिसका मिलान संबंधित वीक्षक द्वारा परीक्षा के दौरान आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी, दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (vi) अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये इसकी अनिवार्यता नहीं होगी तथा अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह विकल्प आवेदन पत्र में प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

3-20 vkWlykbL vkonu i = ds l kfk QkVks , oa gLrk{kj l yXu djus l ca/kh fund k%&

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे।
- (ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।
- (iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- (v) उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (vi) फोटोग्राफ vkonu Hkjus dh frffk से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा QkVksxkQ ij f[kpokus dh fnukad o vkond ds uke dk Li"V mYys[k gkuk pkfg; A
- (vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

3-21 , e-i h- vkklykblu fd; kld ds ek/; e l s vkonu QkeZ Hkj us dh fof/k %&

- (i) एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा।
- (ii) कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप भलीभांति भरकर देना होगा, जिसके आधार कियोस्कधारक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जावेगा।
- (iii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।
- (iv) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।
- (v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

3-22 vkklykblu vkonu Hkj us ds l cdk ea funk k %

- (i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण मीनू के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
- (ii) igpku i = ds ehuv ea ernkrk igpku i =] i sudkM] vk/kkj dkM] Mk; foax yk; l d] vadl ph e; QkS/ksxtQ] cfd ikl cpd e; QkS/ksxtQ rFkk ikl iksV/ dk i ko/kku j [kk x; k gA

- (iii) यदि आवेदक द्वारा अन्य पहचान पत्र का चयन किया जाता है rks og nLrkost dks l k gS bl dh tkudkj h vfrfjDr l g&vkbMh ds : i es inku djuh gksxhA
- (iv) vkond dks vkonu i = es 'kjhj ds LFkk; h fplg rFkk ijh{kk ds le; iLrqr fd; s tkus okys QkMks igpku i = dk foj.k rFkk Øekad vfuok; l : i l s vfd r fd; k tkuk gksxkA buds vHkko es vkonu i = Lohdkj ugh gksxkA
- (v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (vi) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
- (vii) आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक पृथक से भी अंकित किये जाने का प्रावधान रखा जावेगा।

3-23 vkWlykblu vkonu&i = Hkj us dh 0; oLFkk %&

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.आनलाईन की www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।
- (ii) इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाइट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्ट्रो कार्ड)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- (iii) सीधी भर्ती-बैंकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा।
- (iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

3-24 vkWlykblu vkonu&i = Hkj us grq nks fodYi gS %&

1/2 bWj usV dQs }kjk %D; kLd% 1/2 Lo; a ds dEl; Wj }kjk

- (i) आवेदक वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** क्लिक कर **Vyapam** लिंक में परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी **Instructions** तथा परीक्षा **Examination Rules** उपलब्ध होंगे।
- (ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें।

- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।
- (v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।
- (vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

1/2 ØfMV@MfcV dkMZ

1/2 bWjuV cfdx

3-25 ØfMV@MfcV dkMZ ds ek/; e l s i j h { k k ' k q d dk Hk q r k u % &

- (i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3-26 bWjuV cfdx ds ek/; e l s i j h { k k ' k q d dk Hk q r k u % &

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।
- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3-27 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर

आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

3-28 fu/kkfjr frffk ea tek fd, x, vkkWykbU vkonu i = ea l d kks/ku dh 0; oLFkk

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-
- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।
- (iii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।
- (iv) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।
- (v) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।
- (vi) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।
- (vii) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।
- (viii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (ix) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, व्यापम आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- (x) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

3-29 , d l s vf/kd vkWykbZ vkonu&i = Hkj us l c/kh funZ k %&

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते हैं ? यदि आवेदक द्वारा "हाँ" विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा।
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प "हाँ" का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।
- (iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।

3-30 vkWykbZ vkonu&i = dk fujLrhdj.k %&

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मण्डल स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (iii) इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

3-31 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

3.32 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

3-33 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि व्यापम के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे।

- (i) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.01.2010 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार तथा परिपत्र क्रमांक 796/982/2012/आप्र/एक दिनांक 26.06.2012 के पालन स्वरूप मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु fu/kkfjr U; ure 'kS[kf.kd vgrk को पूर्ण करते हैं, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरुद्ध अपने आवेदन पत्र, आवेदन भरने की प्रस्तावित अन्तिम तिथि तक हार्ड कापी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुये सीधे नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु l cf/kr foHkkx को प्रेषित करेंगे।
- (ii) संबधित विभाग द्वारा परीक्षा की तिथि के पूर्व बैगा, सहारिया एवं भारिया अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त उनकी नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। इस कारण से विभाग के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो संशोधित पदों की आरक्षण तालिका व्यापम को उपलब्ध कराई जायेगी।
- (iii) व्यापम द्वारा अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो एक संक्षिप्त संशोधन विज्ञापन जारी किया जायेगा जो अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये बंधनकारी होगी।
- (iv) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरान्त, परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को इस संवर्ग के शेष पदों हेतु परीक्षा में बैठने का विकल्प विद्यमान रहेगा।
- (v) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित सभी पदों की पूर्ति यदि बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों से ही हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के पदों के लिये परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प विद्यमान रहेगा।
- (vi) तदुपरांत व्यापम द्वारा अन्य श्रेणियों के पदों तथा अनुसूचित जनजाति के संशोधित पदों के लिये परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा।

3-35 vkonu i = Hkj us dh l e; kof/k

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
28.03.2015	26.04.2015	30	27.04.2015	03.05.2015	07

3-36 fyf[kr ijh{kk dk fooj.k

स.क्रं.	परीक्षा	दिनांक	दिन	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	प्रश्न पत्र	31.05.2015	रविवार	02 घंटे	प्रातः 10:00 बजे से 12:15 बजे तक	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे।

परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

3-37 (i) ijh{kk 'kq'd %&

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	म.प्र. के मूल निवासियों के लिये		सीधी भर्ती बैकलॉग तथा बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क
			अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये	निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये		
01-	, d	500/-	250/-	250/-	dkbz 'kq'd ugha	70@&

(ii) l d kks/ku fd; s tkus ij ns 'kq'd

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01-	, d	100/-	50/-

3-38 ijh{kk 'kgj %&

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थियों की शहरवार संख्या के आधार पर एवं मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है।

क्रं.	लिखित परीक्षा केन्द्र	क्रं.	लिखित परीक्षा केन्द्र
1.	गुना	2.	ग्वालियर
3.	उज्जैन	4.	इन्दौर
5.	भोपाल	6.	जबलपुर
7.	होशंगाबाद	8.	सागर
9.	रीवा	10.	शहडोल

v/; k; & 04

i kB; Øe

ç'u i = dk Lrj %

gk; j l ds Mh ¼10\$2½ i }fr ¼ foKku fo"K; ½

स. क्र.	विषय
1.	सामान्य अभिरूचि
2.	सामान्य ज्ञान
3.	सामान्य हिन्दी
4.	सामान्य अंग्रेजी
5.	सामान्य गणित
6.	सामान्य विज्ञान
dy & 100 vd	

(देखें नियम 3.12 एवं 3.13)

iz u&i fLrdk ds iz uk ds l c/k ea vH; konu

%ukV& ; g izi = doy ijh{kkFkhz }kjk gh Hkj dj fu/kkFjr l e; kof/k rd

e. My dk; kly; ea mi yC/k dj kus ij fopkj {k= ea fy; k tk, xk ½

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न-पत्र में निम्नलिखित प्रश्न उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :-

1000	iz u Øekd	=fV dk fooj.k	l k{; ds: i ea iLrq nLrkost dk fooj.k	l yXud Øekd

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

आवेदक का नाम.....

(देखें नियम 3.12 एवं 3.13)

vkn' kZ mRrjka ij vki fRr grq vH; konu

¼ukV& ; g izi = dby ijh{kkFkhZ }kjk gh Hkj dj fu/kkFjr l e; kof/k rd e. My
dk; kZy; ea mi yC/k dj kus ij fopkj {k= ea fy; k tk, xk ½

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :-

I-Ø-	mRrj Øekad	vkn' kZ dñth ea inf' kr mRrj	vH; FkhZ ds vuq kj mRrj	mRrj ds l eFku ea iLrq nLrkost dk foj.k	l ayxud Øekad

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

आवेदक का नाम.....

e/; i n s' k ds vkfne tutkfr l epk; t 9 %&c\$kk] l gkfj; k , oa Hkkfj; k tutkfr ds vH; fFkZ; ka gsrq vkonu i = dk ik: i

ijh{kk dk uke%& l epq&5 ds vrxr ijkefMdy l oxZ , oa l gk; d i 'kq fpfdRI k {ks= vf/kdkjh ds fjDr i nka dh l a Dr HkrhZ ijh{kk&2015

- | | | | |
|-----|--|----------|---|
| 1. | आवेदक का नाम | :- | आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ संलग्न करे |
| 2. | पिता का नाम | :- | |
| 3. | माता का नाम | :- | |
| 4. | लिंग (पुरुष/महिला) | :- | |
| 5. | जन्मतिथि | :- | |
| 6. | आदिम जनजाति का नाम | :- | |
| 7. | वर्ग (विकलांग/भूतपूर्व सैनिक) | :- | |
| 8. | शैक्षणिक योग्यता का विवरण | :- | |
| 9. | कार्यअनुभव का विवरण | :- | |
| 10. | विशेष/अन्य विवरण | :- | |
| 11. | आवेदन प्रस्तुत करने वाले विभाग का नाम:- | | |
| 11. | पदों के लिये विभागों के चयन का विकल्प (नियम पुस्तिका के अध्याय-02 अनुसार) :- | | |

I-Ø-	foHkkx dk uke	i nuke
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर :-.....
दिनांक :-
निवास का पता :-
मोबाईल/दूरभाष नं. :-

1. सहारिया, भारिया एवं बैगा जनजाति के अभ्यर्थियों को
ऑफलाईन आवेदन पत्र भरने के लिए विभागों के पते का विवरण

स.क्र.	विभाग का नाम एवं पता
1.	संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल (म.प्र.)
2.	संचालक, संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
3.	अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (गैस राहत) फिरोज गांधी काम्प्लेक्स, बेरसिया रोड, भोपाल (म.प्र.)
5.	संचालक, संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएँ, नन्दा नगर, इन्दौर (म.प्र.)
6.	सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.)
7.	कुलसचिव, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

2. सहारिया, भारिया एवं बैगा जनजाति के अभ्यर्थियों को निम्नलिखित विभागों के लिए
ऑफलाईन आवेदन पत्र नहीं भरना है

स.क्र.	विभाग का नाम एवं पता
1.	संचालनालय पशुपालन कामधेनू भवन, लिंक रोड क्र. 03, वैशाली नगर, भोपाल (म.प्र.)
2.	अपर संचालक (स्थापना), किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल, (म.प्र.)



M.P. PROFESSIONAL EXAMINATION BOARD, BHOPAL

1 eg&5 ds vaxr i jkeMhdy l oxl , oa l gk; d lk'kq fpdfRI k {ks= vf/kdkjh ds fjDr i nka
dh l a Dr HkrhZ i jh{kk&2015

List of Activity

Activity No.	Activity	Duty Assigned by Section	Date of Accomplishment
1.	Receipt of certified rules from the Department	Examination	28.02.2015
2.	Editing of Rules		12.03.2015
3.	Approval of Design of Rule Book		16.03.2015
4.	Approval of Design of Application form	Computer	18.03.2015
5.	Approval of Draft of Advertisement	PRO	18.03.2015
6.	Softcopy of Rules on Vyapam & MPONLINE website	Computer	20.03.2015
7.	Advertisement in News Papers	PRO	21.03.2015
8.	Start of Online A/F	MP Online	22.03.2015
9.	Appointment of Central Observers	Establishment	31.03.2015
10.	End of Online submission of A/F	MP Online	20.04.2015
11.	Start Of Rectification Of Online A/F by Applicant		21.04.2015
12.	Summary of Applications city wise	Computer	22.04.2015
13.	Order for Printing of Question Booklets	Controller	22.04.2015
14.	Letter to Co-ordinators for exam centres	Examination	22.04.2015
15.	End Of Rectification Of Online A/F by Applicant	MP Online	27.04.2015
16.	Scrutiny/ Checking	Computer	29.04.2015 to 01.05.2015
17.	Appointment of Observers	Examination	01.05.2015
18.	Order for Packing of Confidential Material	Strong Room	01.05.2015
19.	Important instructions for smooth conduction of exam	Controller	02.05.2015
20.	Processing of Data	Computer	02.05.2015
21.	Finalized List of Centres to Computer Section	Examination	05.05.2015
22.	Allotment of Roll Nos.	Computer	05.05.2015
23.	Generation of TAC's		05.05.2015
24.	Uploading of TAC's		05.05.2015
25.	Order for Centre wise packing of Question Booklets		05.05.2015
26.	Finalization of Route chart	Transportation	05.05.2015
27.	Letter to Collectors for Law & Order	Examination	06.05.2015
28.	Printing of Reports RASA, Centre List , Centre Advance	Computer	06.05.2015
29.	Printing of Register & Docket for packing of Confidential Material		07.05.2015
30.	Letter for Police arrangement	Examination	07.05.2015
31.	Notice in newspapers regarding TAC's uploading	PRO	08.05.2015
32.	Receipt of Confidential Material	Strong Room	10.05.2015
33.	Preparation of Bank Drafts on the basis of Centre Advance	Finance	11.05.2015
34.	Dispatch of Non-Confidential Material	Examination	11.05.2015
35.	Packing of Confidential Material	Strong Room	11 to 13.05.2015
36.	Briefing of Observers	Examination	14.05.2015
37.	Checking of Confidential Material by Observers	Strong Room	14.05.2015
38.	Dispatch of Confidential Material		15 & 16.05.2015
39.	Examination Day	All	17.05.2015
40.	Uploading of Model Answers Key	Computer	18.05.2015
41.	Last date for Representation on Model Answers Key and Question Paper	Controller	25.05.2015
42.	Meeting of Key Committee		01.06.2015
43.	Uploading of Final Answers Key and Declaration of Result	Computer	15.06.2015

(Shailesh Parve)
Asstt. grade II

(Prof. Sanjay Kumar Jain)
Joint Controller (Exam)

(Dr. Alok Chobey)
Controller